



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण

ए/किरानी/टीवा/भृ.रो/2018/1009 अब्देश्वर पुत्र रामकृपाल लोहार

द्वाया आज दि 6.2.18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक सर्क छेत्र
दिनांक 21.2.18 नियम।

महान् लोफ को
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

W3
मुकेशभाऊ
6-2-18 (अधिकारी)
ग्वालियर

निवासी ग्राम पांती महतमान तहसील हनुमना
जिला रीवा (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. मुस. कौशिल्या बेवा स्व. बहोरे पटेल
 2. शिवबहोर पिता स्व. बहोरे पटेल
 3. विजयशंकर पिता स्व. बहोरे पटेल
 4. रमाशंकर पिता स्व. बहोरे पटेल
- सभी निवासीगण ग्राम पांती महतमान
तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण
क्रमांक ७५ /अप्रील/अ-६६/२०१६-१७ में पारित आदेश
दिनांक 22.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. वास स्थान दलखलकार
अधिनियम 1980 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी तहसील हनुमना के समक्ष बास स्थान दखलकार अधिनियम (भूमि स्वामी अधिकारी का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1980 की धारा 6 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि आराजी

(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुयुक्ति आदेश प्रक्र

प्रकरण क्रमांक II/१९०/१९१/३२१/१८/१०७

ठाने४१४/२२७ ला/१९१०७

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
४/१११९	<p>आवेदक की ओर से श्री ३०/१११९ गवर्नर</p> <p>अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला -२११</p> <p>के प्रकरण क्रमांक ८५/३१५०/३२६८/१६-१७ में पारित आदेश दिनांक २२-१२-१७ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक २५-०९-२०१८ को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा ५० सहपठित संहिता की धारा ५४(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग -२११ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २३।४।१९ को संभागीय आयुक्त २११ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> 	